

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

वनाम

अनुराग

सुबसिंह

दावा बाबत :- 88 RTI Act

मुकदमा नम्बर :- 322/2021

निर्णय दिनांक :- 02-11-2021

वादी की ओर से वकील नरेश कुमार की व प्रतिवादी सं० 1 की

ओर से वकील रामशक्ति टोखर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मीना रतनपुरी के खाता सं- 88/89 के खसरा

सं- 195/159 की उज्ज्वला देवी कारानी खातदारी कृषि भूमि वादी/अनुराग

व प्रतिवादी सं० 1 सुबसिंह की माता स्व० श्रीमती देवी पत्नी अनुराग के

नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो श्रीमती देवी का

नाम कलमजबूत किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 1 को नहिस्सा

करार के खातदार का ब्रह्मकार घोषित किया जाये है - यही

कृषि भूमि के रूप में रखे गये हैं उपरान्त

श्री राजस्व रिकार्ड में अमल परामर्श किया जाये

वादी नाम का डिक्री का आज पढा जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

RAJ

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.मा. के संग अ.उ.भा.द.

कैम्प

शकुन्तला चौधरी